

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-4

अधिसूचना

प्रकीर्ण

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1421/बीस-4/2016-2(4)/2013-श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड की अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा भर्ती और सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016

भाग 1

सामान्य

- | | |
|------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, "उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली 2016" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| 'सेवा की प्रास्थिति | 2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा एक अधीनस्थ राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद के सम्बन्ध में यथास्थिति महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है और सेवा के शेष पदों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
(ग) 'आयोग' से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है;
(घ) 'संविधान' से 'भारत के संविधान' अभिप्रेत है;
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा अभिप्रेत है;
(ज) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो; तथा
(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है। |

भाग 2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो सरकार समय-समय पर द्वारा निर्धारित की जाय।
- (2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो परिशिष्ट-1 में दी गयी, परन्तु उपबन्ध यह है कि—
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग 3

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—

(1) अग्निशामक (फायरमैन)

शत-प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से।

(2) फायर सर्विस चालक

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशामकों (फायरमैनो), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा हैवी ड्राईविंग लाईसेन्स धारक हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

(3) मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन)

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशामकों (फायरमैनो), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा,

(4) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर)

(एक) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से,

(दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फायर सर्विस चालकों और मुख्य अग्निशामकों (लीडिंग फायरमैनो) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी— अग्निशामक (फायरमैन) से फायर सर्विस चालक व मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) पद पर पदोन्नति के लिए एवं मुख्य अग्निशामकों (लीडिंग फायरमैन)/फायर सर्विस चालक से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए समस्त पात्र अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।

(5) अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन आफिसर)

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, यूगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो, परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।
- परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,
- परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी— ऐसे अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही अस्वीकृत किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होगी :-
- (1) अग्निशामक (फायरमैन) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (2) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में) स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो।
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हता

10. (1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- (2) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- (3) सीधी भर्ती हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो-

क्र.सं.	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	अग्निशामक	18 वर्ष	22 वर्ष
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	21 वर्ष	28 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रारिथति

13. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी :- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की नॉक-नी, बो-लैंग्स, फ्लैट-फीट, वैरीकोस वेन्स, दूर और पास की दृष्टि, कलर ब्लाइण्डनेस, रिनीज, वेबर्स, और वार्टिंगो आदि दोषों जैसी कमियों का परीक्षण करेगा।

भाग 5

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. अग्निशामक (फायरमैन) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया :-
रिक्तियों निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जाएगी :-

(एक) ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जाएगा।

(दो) आयोग के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और रोजगार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके और/या इंटरनेट के माध्यम से।

(तीन) अग्निशामक (फायरमैन) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद की सीधी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा, 'शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति' के माध्यम से एवं लिखित परीक्षा 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' के माध्यम से करते हुए की जायेगी।

(क) आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है, यद्यपि आयोग अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिये ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।

(तीन) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(चार) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा-विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली का निशान, फोटोग्राफ इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

(पाँच) आवेदन-पत्र अभिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क भुगतान करने पर कय किया जा सकेगा तथा समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करवाने होंगे। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(छः) यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

(ख) बुलावा पत्र

निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन्हें शारीरिक मानक नाप-जोख हेतु बुलाया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो, अभ्यर्थी हैल्पलाईन से सम्पर्क कर द्वितीय बुलावा पत्र की कापी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित हो, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

शारीरिक मानक नाप-जोख अग्निशामक हेतु परिशिष्ट-2(क) के अनुसार एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट-3(क) के अनुसार होंगे।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कमशः परिशिष्ट-2(ख) एवं परिशिष्ट-3(ख) में विहित की गई है।

(घ) लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट-2(ग) एवं परिशिष्ट-3(ग) में दी की गई है।

(ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची

आयोग, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सम्यक् प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में प्रकाशित किया जायेगा। आयोग द्वारा जनपदवार एवं श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बंद आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

(च) चिकित्सा परीक्षण

उक्त अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु चिकित्सा परीक्षण क्रमशः परिशिष्ट-2(घ) एवं परिशिष्ट-3(घ) में दी की गई है।

(छ) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

- (1) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- (2) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने या बाँये हाथ के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकास खण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।

पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) फायर सर्विस चालक, मुख्य अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, के पद पर भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।
- (2) अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया नियम 5(5) में दी गयी है।
- (क) पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी - अध्यक्ष

(दो) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नामित दो अधिकारी - सदस्य

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित दो अधिकारियों में से एक अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से होगा।

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के सम्मुख रखी जायेगी, जो उचित समझे जाएं।
- (ग) चयन समिति द्वारा उप नियम-2 में विनिर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा।
- (घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।
- (ङ) पदोन्नति पर न जाने वाले अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर आगामी 02 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6

नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम-16 व नियम-17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हों, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर, उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

प्रशिक्षण

20. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा

21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की सेवा के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गई है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे ;
- परन्तु उपलब्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि के संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

22. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि उसने -
- (क) विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,
- (ख) जिसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो, तथा
- (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि व स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

23. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जाएगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते हैं :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जाएगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जाएगा :

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

- (2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग द्वारा अवधारित की जायः

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

- (3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

- (4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम-18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि-

- (क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हो, नीचे कर दी जायेंगी।

- (ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(ग) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की विरुद्ध की गयी है।

भाग 7
वेतन

- | | | |
|-------------------------|-----|--|
| वेतनमान | 24. | (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न पदों का वेतनमान परिशिष्ट-1(क) में दी गयी है। |
| परिवीक्षा अवधि में वेतन | 25. | (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।
परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :
परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।
(3) परिवीक्षा अवधि में ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्यतया सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा। |

भाग 8

अन्य प्राविधान

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| पक्ष समर्थन | 26. | किसी पद पर या सेवा में लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा। |
| अन्य विषयों का विनियमन- | 27. | ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हो, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों, और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे। |
| सेवा शर्तों का शिथिलता | 28. | यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष |

मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति

29. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-1 (नियम-4 देखें)

अग्निशमन सेवा के अन्तर्गत नियमावली के प्रख्यापन के समय स्वीकृत पदों की संख्या

क्र०सं०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर)	34
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर)	39
3	मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन)	148
4	फायर सर्विस चालक	181
5	फायरमैन (अग्निशामक)	920

परिशिष्ट-1(क) (नियम-24(2) देखें)

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान	
		वेतन (रु०)	ग्रेड-वेतन (रु०)
1	अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर)	9300-34800	4200
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर)	9300-34800	4200
3	मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन)	5200-20200	2400
4	फायर सर्विस चालक	5200-20200	2400
5	फायरमैन (अग्निशामक)	5200-20200	2000

परिशिष्ट-2क {नियम-16(ख) देखें}अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप-जोप

1- अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :-

ऊँचाई-

- | | | |
|--|---|-----------------|
| (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम | - | 168 सेंटीमीटर |
| (2) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम | - | 160 सेंटीमीटर |
| (3) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम | - | 157.5 सेंटीमीटर |

सीने की माप-

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| (1) सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए | <u>बिना फुलाये</u>
(81.3 सेंटीमीटर) | <u>फुलाने पर</u>
(86.3 सेंटीमीटर) |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|

टिप्पणी :- सीने में कम से कम 05 से.मी. का फुलाव आवश्यक है।

2- पुलिस लाईन/स्टेडियम, जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर इन परीक्षणों हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

3- शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या सामान्यतः 200 तक होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है।

4- इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमाणों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो चयन समिति की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

5- शारीरिक मानक परीक्षण के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परिशिष्ट-2ख {नियम 16(ग) देखें}अग्निशामक (फायरमैन) के पदों की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति निम्नानुसार नामित होगी :-

- (क) अध्यक्ष - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी,
 (ख) सदस्य - अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी

शारीरिक मानक परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों को निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक-100) में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा किसी भी इवेन्ट में 50 प्रतिशत से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा :-

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20 अंक)	50 मीटर	10
		55 मीटर	12
		60 मीटर	14
		65 मीटर	16
		70 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णांक-20 अंक)	13 फिट	10
		14 फिट	12
		15 फिट	14
		16 फिट	16
		17 फिट	18
3	चिनिंग अप (बीम) (पूर्णांक 20 अंक) (अभ्यर्थी अन्डर ग्रीप/ओवर ग्रीप जो चाहे कर सकता है)	05 बार छूना	10
		07 बार छूना	12
		08 बार छूना	14
		09 बार छूना	16
		10 बार छूना	20
4	(क) दण्ड (पूर्णांक-10) दण्ड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।	25 चार मिनट में	04
		35 चार मिनट में	06
		50 चार मिनट में	08
		75 चार मिनट में	10
	(ख) बैठक (पूर्णांक-10)	50 दो मिनट में	04
		65 दो मिनट में	06
		80 दो मिनट में	08
		100 दो मिनट में	10
5	दौड़ (03 कि०मी०) (पूर्णांक-20 अंक)	20 मिनट में	10
		18 मिनट में	12
		16 मिनट में	14
		14 मिनट में	16
		12 मिनट में	18
		10 मिनट में	20

(एक) अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षण के परिणाम उसी दिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परिशिष्ट-2ग {नियम 16(घ) देखें}

फायरमैन (अग्निशामक) के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा

- (1) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आयोग अभ्यर्थी को हेल्पलाइन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था करेगा।
- (2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवस और समय पर आयोजित की जाएगी।
- (3) लिखित परीक्षा के 100 पूर्णांक होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 70 अंक एवं हिन्दी भाषा के 30 अंक के प्रश्न होंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।
- (4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा।
- (5) लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट रूप में भी होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
- (6) परिणाम तैयार होने पर आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार प्राप्तांकों के साथ अपलोड किया जायेगा।

परिशिष्ट-2घ {नियम 16(च) देखें}

फायरमैन (अग्निशामक) के पदों की सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण

अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। वे अधिसूचित केन्द्रों पर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये।

- (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा मुख्यतया मानव शरीर की कमियों यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फुट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जाँच की जायेगी। बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।
- (ख) यदि चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाये जाते हैं तो वे दण्डित कार्यवाही के भागी होंगे।
- (ग) चिकित्सा परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका चयन सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट-3क {नियम 16(ख) देखें}

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए
शारीरिक मानक नाप-जोख

1- अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं :-		
ऊँचाई		
(1) सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	167.7 सेंटीमीटर	
(2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	160.0 सेंटीमीटर	
(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये	162.6 सेंटीमीटर	
सीने की माप	<u>बिना फुलाये</u>	<u>फुलाने पर</u>
(1) सामान्य व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये	78.8 से.मी.	83.8 से.मी.
(2) अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये	76.5 से.मी.	81.5 से.मी.
टिप्पणी- न्यूनतम 05 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।		
2- स्टेडियम/पुलिस लाईन जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) न्यूनतम शारीरिक मानक को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।		
3- शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या सामान्यतः 200 तक होनी चाहिए।		
4- इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमाणों को उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो चयन समिति की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।		
5- शारीरिक मानक परीक्षण के लिये 'भारतीय मानक संस्थान' द्वारा प्रमाणित एवं मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।		

परिशिष्ट-3ख {नियम 16(ग) देखें}

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति निम्नानुसार नामित होगी :-

- (क) अध्यक्ष - पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी
(ख) सदस्य - पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के 03 अधिकारीगण

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की न्यूनतम अर्हकारी मानक निम्नवत् होंगे :-

क.स.	इवेंट का नाम	मानक
1	किकेट बाल श्रो	50 मीटर
2	लम्बी कूद	13 फिट
3	चिनिंगअप	05 बार
4	दौड़	05 कि०मी० (30 मिनट में)
5	(क) दण्ड (ख) बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक

- (एक) अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में सामान्यतः 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये।
- (दो) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन घोषित कर सूचित कराया जायेगा।
- (तीन) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन द्वारा प्रमाणित उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

परिशिष्ट-3ग (नियम 16(घ) देखें)

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया

- (1) यदि परीक्षा के दिनांक से सात दिन पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो आयोग अभ्यर्थी को हेल्पलाइन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था करेगा।
- (2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवस और समय पर आयोजित की जाएगी।
- (3) लिखित परीक्षा के 300 पूर्णांक होंगे। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective type) एवं बहुविकल्पीय (Multiple choice) प्रकार की होगी। परीक्षा के विषय/अंको का विवरण निम्नवत होगा :-

विषय	अधिकतम अंक
1-सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)	100 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक) (समय 1 घण्टा)
2-सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता-	200 अंक (समय 2 घण्टा)
क-सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण	50 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)
ख-सामान्य जागरूकता	75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)
ग-गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)	75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)

- (4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा।
- (5) अभ्यर्थी प्रश्नपत्र परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जा सकेंगे। बहुविकल्पीय (Multiple choice) प्रश्नों की उत्तरमाला (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी, जिसकी कार्बन प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।
- (6) परिणाम तैयार होने पर आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार प्राप्तांकों के साथ अपलोड किया जायेगा।

परिशिष्ट-3घ (नियम 16(घ) देखें)**अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण**

अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। वे अधिसूचित केन्द्रों पर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपना चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये।

- (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा मुख्यतः मानव शरीर की कमियाँ यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फुट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज़ टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जाँच की जायेगी। बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।
- (ख) यदि चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाये जाते हैं, तो वे दण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
- (ग) चिकित्सा परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका चयन सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट-4 (नियम-5(2), 5(3), 5(4)(दो) व नियम 17(1) देखें)**फायर सर्विस चालक, मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर प्रौन्नति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा**

पात्रता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत 3.2 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी।

आज्ञा से,

डा० उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1421/XX-4/2016-2(4)/2013, dated December 19, 2016 for general information :

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

December 19, 2016

No. 1421/XX-4/2016-2(4)/2013--In exercise of the power conferred by the provision of Article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing Rules and order on the subject, Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand fire and Emergency Service subordinate Officers/Employees service.

**THE UTTARAKHAND FIRE AND EMERGENCY SERVICE SUBORDINATE OFFICERS/
EMPLOYEES SERVICE RULES, 2016**

PART-I- GENERAL

- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Short title and commencement | 1. | (1) These Rules may be called "the Uttarakhand Fire Service Subordinate Officer/Employees Service Rules, 2016".
(2) They shall come into force at once. |
| Status of Service | 2. | Uttarakhand Fire Service Subordinate Officer/Employees Service comprises Group 'C' posts. |
| Definitions | 3. | In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context –
(a) "Appointing authority" in respect of the posts of Fire Station officer and Fire Station Second Officer means the Deputy Inspector General of Police and for the Remaining Posts in the service means District Superintendent of Police;
(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the constitution ;
(c) "Commission" means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission ;
(d) "Constitution" means the constitution of India ;
(e) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
(f) "Governor" means Governor of Uttarakhand;
(g) "Service" means the Uttarakhand Fire Service Subordinate Officer/Employees Service ;
(h) "Member of the service" means a person substantively appointed under these Rules or the Rules orders in force prior to the commencement of these Rules to a post in the cadre of service;
(i) "Substantive appointment" means an appointment not being an ad-hoc appointment on a post in the cadre of service made after selection in accordance with the Rules and if there were no Rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;
(j) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing on |

the first day of July of a calendar year;

PART-II CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, shall until order varying the same are passed under sub Rule (1), be as given in Schedule- 1.
- Provided that:
- (a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold abeyance any vacant post, without thereby entitling any person compensation; or the
- (b) Governor may create such additional permanent or temporary or temporary posts as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-

(1) **Fireman:** (i) by direct recruitment through the Selection Committee on cent-percent.

(2) **Fire Service Driver:**

By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, amongst substantively appointed such Fireman's, who have completed seven year service as on the first day of the year of recruitment and have obtained the heavy driving license.

(3) **Leading Fireman:**

By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, amongst substantively appointed such Fireman's for the post of Leading Fireman, who have completed seven year service as on the first day of the year of recruitment the post of Fireman.

(4) **Fire Station Second Officer:**

(i) 50% by direct recruitment through the Selection Commission.

(ii) 50% by promotion through on the basis of seniority on from amongst fire service driver and Leading fireman who have complete five year of service as such on the first day of the year of recruitment subject to the rejection of the unfit.

Note:- All the suitable Candidates considered for promotion of the Leading Fireman/Fire Service Drivers from the post of fireman and for the post of Fire Station Second Officers from the post of Leading Fireman/Fire Service Drivers, shall pass through the qualifying nature Physical efficiency test, details are given in Appendix-4.

(5) **Fire Station Officer:**

By promotion amongst substantively appointed fire Station Second Officer who have completed five years service as such on the first day of the year of the recruitment on the basis of seniority subject to rejection of the unfit.

Reservation

6. Reservation for candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Categories shall be as Government order in force at the time of recruitment.

PART-IV
QUALIFICATION FOR THE POST OF DIRECT RECRUITMENT

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be;
- (a) a citizen of India; or
 - (b) a Tibetan refugee who come over the India before 1st January 1962 with the intension of permanent settling in India; or
 - (c) a person of Indian origin has migrated from Pakistan, Burma, Shri Lanka or any of east African countries of Kenya, Uganda an United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to the category (b) of (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further, that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE:- a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted on an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must posses the following qualification ;

(1)	Fireman	Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and intermediate education, Uttarakhand or examination recognized by the Government as equivalent thereto.
(2)	Fire Station Second Officer	Must possess the Bachelor's Degree in Science (Physics, Chemistry & Maths) from a University established by law in India or qualification recognized by the Central or State Government. Certificate in minimum six months for computer application from an institute recognize by the Central or State Government.

Preference Qualification

9. In case of similarity in other areas, a candidate must be given preference, who has ;
- (i) served in territorial Army for minimum period of two years, or
 - (ii) Obtain a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Mandatory/ Desirable Qualification

10. (1) A candidate the post of direct recruitment must have registered in any employment office of the State.
- (2) Ex-serviceman must have registered in district soldier welfare and resettlement board of any ditrict of State.
- (3) Only male candidate shall be eligible for direct recruitment.

- Age** 11. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified against the post in the table given below on the first day of July of the calendar year, in which vacancies are advertised –

S.N.	Name of the Post	Minimum age	Maximum age
1	Fireman	18 Year	22 Year
2	Fire Station Second Officer	21 Year	28 Year

Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to the Schedule Caste, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

- Character** 12. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as render him suitable in all respect for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE: Person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or a body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Person convicted in an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

- Marital Status** 13. A male candidate who has more than one wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may, if satisfied that there exists special ground for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

- Physical Fitness** 14. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a medical board.

NOTE: the Medical Board shall also examine the deficiencies such as knock-knee, bow legs, flat-feet, varicose veins, distant and near vision, color blindness, hearing test comprises of Rinne's test, Webber's test and test of vertigo.

Part-V

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

- Concepts of Vacancies** 15. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other categories under rule 6.

- Procedure for direct recruitment** 16. The vacancies for direct recruitment shall be notified in the following manner under these rules :-
- (i) By issuing advertisement in minimum 02 daily newspaper having wide circulation in State.
 - (ii) By pasting the notice on the notice Board of the office or by advertising through employment newspaper or/ Internet, Radio and Doordarshan.
 - (iii) Direct recruitment for the post of Fireman and Fire Station Second Officer physical efficiency test will taken by 'Physical efficiency test committee' and written test taken by 'Uttarakhand subordinate service

selection commission.

(a) Application Form :

(one) A candidate shall be filled only one application. A candidate can opt one or more centre for allotment of examination center, however commission may be allot center other than indicated center.

(two) a separated booklet shall be annexed with a application form, in which the information regarding education qualification, age, physical standard test of every category, physical efficiency test, minimum eligibility standard for medical test, minimum eligibility marks for subjectwise written examination, copy of OMR booklet for practice and other important direction shall be include.

(three) The candidate shall self attested to his al certificates and documents and shall be countable for their originalising and correctness.

(four) The identification details in application form as apecific identification letter number, thumb or figure marksa, photograph shall attached as such as prscribed by the commission from time to time.

(five) The application may be obtained from the schedules/Banks/Post office on payment by prescribed fees shall be submitted upto fixed last date. No consideration shall be made on the received application form after the last date.

(six) If any certificate is shown to the submitted in the application form but not fund attached in time there the application form of the candidates may be rejected.

(b) Call letters

All the certificates submitted by the candidates will be examined before the issuance of the call letter. If a certificate is shown to be submitted in the application form but not found attached with it, the Application Form of the candidates may be rejected. After getting the Application Form, call letter will be issued to eligible candidates through the same Police Office from where Application Form was submitted. Code/ Name/ Postal Address/ place of the examination centre along with the date and time of the Physical Standard Test, Physical Efficiency Test and Medical Examination will be clearly mentioned in the call letter. Documents which the candidates are required to produce for the examination will be clearly indicated in the call letters. Call letters should be reach at least a week before the examination. In case call letter is not received within a week before the examination, candidates may contact helpline with the serial code of the Application Form, which will have to be given in this regard. Duplicate call letter will be issued by the Board.

(c) Physical Efficiency Test

The candidates who are declared successful in the Physical Standard Test shall be required to appear in a Physical Efficiency Test for post of fireman and fire station second officer the test procedure of which is given in respectively, Appendix 2(B) and 3(B).

(d) Written Examination

The candidates declared successful in Physical Efficiency Test shall be required to appear in Written Examination for the post of fireman and fire station second officer, the test procedure of which is given in respectively, Appendix 2(C) and 3(C).

(e) Final Merit List

The board shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other category in accordance with Rule 6, prepare a final select list of candidates in order of a merit. The final Merit List shall be published in website/ notice board

and newspapers along with the marks obtained by the candidates to enable them to check their marks obtained by them irrespective of the fact whether they are successful or unsuccessful. The district and category wise merit list shall be published by commission. The commission will furnish the list of marks obtained by the candidates signed by its competent authority in a sealed cover along with the answer sheets to the appointing authority.

(f) Medical Examination

The candidate declare finally selected shall be required to appear in a Medical Examination Test. The procedure of medical examination for post of fireman and fire station second officer is given in respectively Appendix 2(D) and 3(D).

(g) Character Verification

Before issuing appointment letter it will be essential to complete the character verification. The verification of character and criminal record of the candidates as far as possible be completed within one month.

- (1) For character verification the candidates shall be required to furnish age certificate. Certificate of Educational Qualifications, Sports Certificate, National Cadet Corps Certificate, Home Guard Certificate, Character Certificate and Unit Discharge Certificate in case of Ex-Serviceman.
- (2) The candidates must furnish the High School Certificate for the date of birth, for sports District/ State of National level certificate and for caste certificate a certificate issued by Tehsildar of District Magistrate. The candidates must furnish a photograph attested by Gazetted Officer, and thumb impression of right and left hands on the attached Performa with Application Form. The candidates must also furnish the complete postal address including Tehsil, Block and Village and pin code of post office.

**Recruitment
by Promotion**

17. (1) The detailed procedure for the recruitment on the post of Fire Service driver, leading fireman and Fire station second officer is given in Annexure-4.
- (2) The procedure for the promotion on the post of Fire station officer is given in rule 5(5).

(a) the recruitment procedure by promotion shall be made through the following department selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit-

- (one) appointing authority - Chairman
- (two) Two officers nominated by Appointing Authority - Members

One officer shall be from Scheduled caste /Scheduled tribes among the two nominated officers by the Appointing Authority.

(b) An eligibility list shall be prepared by the Appointing Authority and character rolls and such other records particularly to them as he deems fit shall be produced before the selection committee.

(c) On the basis of specific records in sub rule (2) shall be considered by selection committee.

(d) The selection committee, a list prepared on the basis of seniority of the selected candidate and shall forward to the appointing authority.

(e) No consideration shall be made for the matter of such candidate who will not be joined on promotion to the next two years.

**Combined
selection list**

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant list in each manner that the prescribed

percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI

APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

- Appointment** 19. (1) The Appointing Authority shall make appointment by taking the name of candidate in the order in which they stand in the list prepared under Rule 16 and Rule 17 as the case may be.
- (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the order in the selection or as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted.
- Training** 20. During probation period the probationer shall be required to undergo training as prescribed by the State Government and Head of the Department.
- Probation** 21. (1) A person is substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointed authority may, for reason to be recorded, extend the period of probation in individual case specifying the date up to which the extension is granted.
- Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year add in no circumstances, beyond two years.
- (3) If it appears to be appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of a probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post, his service may be dispense with.
- (4) A probationer who is reverted or whose service is dispensed with under sub Rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating of temporary capacity in a post include in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
- Confirmation** 22. Subject to the provisions of sub Rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, If-
- (a) He has successfully undergone the prescribed training ;
- (b) his work and conduct is reported to be satisfactory;
- (c) His integrity is certified ;
- (d) Where is accordance with the provision of the Uttarakhand State Government servant confirmation Rules 2002, confirmation is not necessary, the order under sub Rule (3) of Rule 5 of those Rule declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be order of confirmation.
- Seniority** 23. (1) The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand State Government Servant Seniority Rules 2002, as amended time to time.

- (2) The seniority inter of persons appointed directly on the result of any one selection shall be the same as determined by the commission.

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reason when vacancy is offered to him.

- (3) The seniority inter se of the person appoints by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.
- (4) Where appointments one made both by promotion and direct recruitment the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order I a combined list prepared in accordance with Rule 19 in such manner that the prescribed percentage is maintained :

Provided that -

- a) Where appointment from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year to year, the seniority of such person so appointed, shall get seniority below the quota vacancies.
- b) Where appointment from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year to year the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of that year in which their appointments are made. So however, that in the combined list of that year (the list prepared under this rule), their names shall be placed at the top following by the names, in the cyclic order of the order appointments.
- c) Where the vacancies to be filled according rule or prescribed procedure, may be filled from any sources in mentioned in the relevant rule or procedure and if this way the appointment be made more than quota than that appointed person get same year seniority as they were appointed against this quota.

PART-VII

PAY

Scales of Pay 24. (1) The scale of pay admissible to person appointed to the various categories of post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

- (2) The scales of pay at a time of the commencement of these Rules are given in Schedule - 1A;

Pay during probation 25. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during promotion of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental Rules.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

OTHER PROVISIONS

- Canvassing** 26. No recommendations either written or oral, other than those required under the Rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
- Regulation of other matters** 27. In regard to the matters not specifically covered by these Rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the Rules regulations and order applicable generally to Government servants serving in connection while the affairs of the State.
- Relaxation from the condition of service** 28. Where the State Government is satisfied that the operation of any Rule regulating the conditions of service of person appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the Rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirement or that Rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.
- Savings** 29. Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other special categories of person in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard

**APPENDIX-1 [See rule-4]
Number of sanctioned posts**

S.N.	Name of the post	Sanctioned Posts
1	Fire Station Officer	34
2	Fire Station Second Officer	39
3	Leading Fireman	148
4	Fire Service Driver	181
5	Fireman	920

APPENDIX -1 A [See rule-24(2)]

Sl No	Name of Post	Scale of Pay	
		Corresponding Pay Band (Rs)	Corresponding Grade Pay (Rs)
1	Fire Station Officer	9300-34800	4200
2	Fire Station Second Officer	9300-34800	4200
3	Leading Fireman	5200-20200	2400
4	Fire Service Driver	5200-20200	2400
5	Fireman	5200-20200	2000

APPENDIX-2 [See rule-16(B)]

Physical standard Test for Direct recruitment to the posts of fireman

1- The minimum physical standard for candidate is as follows:

Height

- (1) For general/other backward classes and scheduled castes candidate minimum 165 cm.
- (2) For hill area candidates minimum 160 cm.
- (3) For Scheduled Tribes candidates minimum 157.5 cm.

Chest Measurement

- (1) For all categories candidates before expansion- 81.3 cm and on expansion 86.3 cm.

NOTE:-

1. A minimum of 5 centimeter expansion is essential.
2. The minimum physical standard for qualifying these tests shall be displayed very prominently on boards in the stadium /Police Line wherever the test is to be conducted before conducting the examination.
3. The physical standard test should be conducted in the entire State in Police Line /stadium. The number of candidate should not be more than 200 in a day. Number of candidate may increase or decrease.
4. The result of this qualifying test shall be announced on mike mentioning measurement of each candidate test wise, immediately after the test is over and also displayed on the notice board and if possible uploaded on the board website daily.
5. Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical standard Test Examination.

APPENDIX-2B [See rule-16(C)]
Physical Efficiency Test for direct recruitment to the post of Fireman

The physical efficiency test Committee shall be conducted as below :-

- (a) President - Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police lever officer.
 (b) Member - Addition Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police.

Physical standard Qualifying candidates shall have obtain minimum 50 marks (out of 100 marks) as per following and if candidate obtain less then 50 percent mark in any stages of physical efficiency test shall be disqualify for further test-

S.N.	Name of Stages	Distance/Time	Marks		
1	Cricket Boll through (Total Marks 20)	50 Meter	10		
		55 Meter	12		
		60 Meter	14		
		65 Meter	16		
		70 Meter	20		
2	Long jump (Total Marks 20)	13 feet	10		
		14 feet	12		
		15 feet	14		
		16 feet	16		
		17 feet	18		
		18 feet	20		
3	Chining up (total marks 20) (over grip or under grip is choice of candidate)	05 time touch	10		
		07 time touch	12		
		08 time touch	14		
		09 time touch	16		
		10 time touch	20		
4	Sit- up (total Marks 10)	50 in 2 minutes	04		
		65 in 2 minutes	06		
		80 in 2 minutes	08		
		100 in 2 minutes	10		
	Push-up (total Marks 10) (Minimum marks obtain is compulsory in Sit-up and chin-up both)	25 in 4 minutes	04		
		35 in 4 minutes	06		
		50 in 4 minutes	08		
		75 in 4 minutes	10		
		5	Running (03 Kilometer) (total marks 20)	In 20 minutes	10
				In 18 minutes	12
In 16 minutes	14				
In 14 minutes	16				
In 12 minutes	18				
In 10 minutes	20				

- (One) The number of candidates should not more than 100 in one day for each such team as not to affect the quality and procedure of the tests.
 (two) The minimum physical standard as qualifying each test is to be displayed very prominently on board.
 (three) Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical efficiency Test Examination

APPENDIX-2C [See rule-16(D)]

Written examination for direct recruitment to the posts of fireman

- (1) In case call letter not received a week before the date of examination, the commission facilitates the candidate to contact helpline and download call letter from website.
- (2) Examination shall conduct in the State in the same date and time.
- (3) Total marks of written examination shall be 100 marks, in which general knowledge question's marks shall 70. and Hindi language marks will be 30, which are shall be objective type.
- (4) 0.25 marks shall deducted for each wrong answer.
- (5) Answer sheet shall be provided with duplicate carbon copy and candidates are allowed to bring carbon copy with them.
- (6) Subjectwise obtained mark with answer key shall be uploaded on website of Commission after prepare the result.

APPENDIX-2D [see rule 16(F)]

Medical examination for direct recruitment to the post of fire man

The selected candidates in written examination will be called for medical examination. They will undergo the medical examination at notified centers (District Hospital) by medical board constituted by the chief medical officer of the district. The number of candidates (not more than 50 in a day) for each medical board shall be determined in such a way that it will not affect the procedure and quality of the medical examination.

Medical Officer to examine as per Medical Manual:

- (a) The Medical Officer will examine the candidate in accordance with the Medical Manual. the medical board mainly examine the deficiencies of human body such as knock knee bow leg, flat feet, varicose veins, distant and near vision, color blindness, hearing test, comprising of Rhine's Test, Webber's test and test for vertigo etc. the board may conduct other examination after obtaining the opinion of experts.
- (b) The member of the medical board who are found giving the wrong report willfully will be liable for criminal proceeding.
- (c) The medical examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

APPENDIX-3A [see rule 16(B)]**Physical standard Test for Direct recruitment to the posts of fire Station Second Officer**

1- The minimum physical standard for candidate is as follows:		
Height		
(1) For general/other backward classes and scheduled castes candidate		167.7 cm
(2) For hill area candidates		162.5 cm
(3) For Scheduled tribes		160.5 cm
Chest Measurement		Before expansion On expansion
For general/other backward classes and scheduled castes candidate	78.8 cm	83.8 cm
For Scheduled tribes and hill area candidates	76.5 cm	81.5 cm
NOTE: A minimum of 5 cm expansion is essential.		
2- The minimum physical standard shall be displayed very prominently on board.		
3- The physical standard test should be conducted in Police Line /stadium. The number of candidate should not be more than 200 in a day.		
4- The result of this qualifying test shall be announced on mike mentioning measurement of each candidate test wise, immediately after the test is over and also displayed on the notice board and if possible uploaded on the board website daily.		
5- Only standardized equipment having Indian standard institution certificate be used for physical standard Test Examination.		

APPENDIX-3B [see rule 16(C)]Physical Efficiency Test for Direct recruitment for the post of Fire Station Second Officer
by selection committee

The physical efficiency test Committee shall be conducted as below :-

- (a) President - Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police level officer.
 (b) Member - Superintendent of Police/ 3 officers of Commandant Level.

The minimum qualification of Physical efficiency Test for the post of Fire Station Second Officer as follows:

S.L.	Name of Stages	Distance/Time
1	Cricket Ball through	50 Meter
2	Long jump	13 feet
3	Chining up	05 time touch
4	Running	5 kilometer in 30 minutes
5	(a) Push-up	40 in 2 minute 30 second
	(b) Sit- up	50 in 60 seconds

- (one) The number of candidates should not more than 100 in one day for each such team so that processors and quality of tests not to be affected.
- (two) The result of physical efficiency test shall be made available to the candidate on the same day.
- (three) Only standardize equipment having Indian standard institution certificate be used for physical efficiency Test Examination.

APPENDIX- 3C [see rule 16(D)]**PROCEDURE FOR WRITTEN EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO
THE POSTS OF FIRE STATION SECOND OFFICER**

- (1) In case call letter not received a week before the date of examination, the commission facilitates the candidate to contact helpline and download call letter from website.
- (2) Examination shall conduct in the State in the same date and time.
- (3) Total marks of written examination shall be 300 marks. Written exam shall contain two question paper. Written Examination shall be objective type and multiple choices. The Subject/marks of the examination shall be following :-

Subject	Maximum Marks
1- General hindi (high school level)	100 marks (1 mark for each question) (time 1 hour)
2- General knowledge and Mental ability	200 marks (1 mark for each question) (time 2 hour)
a- General awareness and reasoning test	50 marks (1 mark for each question)
b- General Awareness	75 marks (1 mark for each question)
c- Mathematical Capabilities	75 marks (1 mark for each question)

- (4) 0.25 marks shall deduct for each wrong answer.
- (5) Answer sheet shall be provided with duplicate carbon copy and candidates are allowed to bring carbon copy with them.
- (6) Subjectwise obtained mark with answer key shall be uploaded on website of Commission after prepare the result.

APPENDIX- 3D [see rule 16(F)]

**MEDICAL EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF
FIRE STATION SECOND OFFICER**

The selected candidates in written examination will be called for medical examination. They will undergo the medical examination at notified centers (District Hospital) by medical board constituted by the chief medical officer of the district. The number of candidates (not more than 50 in a day) for each medical board shall be determined in such a way that it will not affect the procedure and quality of the medical examination.

- (a) The Medical Officer will examine the candidate in accordance with the Medical Manual. the medical board mainly examine the deficiencies of human body such as knock knee bow leg, flat feet, varicose veins, distant and near vision, color blindness, hearing test, comprising of Rhine's Test, Webber's test and test for vertigo etc. the board may conduct other examination after obtaining the opinion of experts.
- (b) The member of the medical board who are found giving the wrong report willfully will be liable for criminal proceeding.
- (c) The medical examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

APPENDIX- 4 [see rule 5(2), 5(3), 5(4)(ii) and 17(1)]

**MEDICAL EXAMINATION BY PROMOTION TO THE POSTS OF FIRE SERVICE DRIVER,
LEADING FIREMAN AND FIRE STATION SECOND OFFICER**

Candidates coming under the Eligibility list shall be completed 3.2 Km running within 30 minutes under physical efficiency test.

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR,

Principal Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 07-01-2017, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10/गृह/88-16-01-2017-150 (कम्प्यूटर/रीजियो)।